सं0-609/9-1-08-21सा/09

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
आठवां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ/दिनांक: 27 फरवरी, 2009

विषय: वेतन समिति उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 में नगरीय स्थानीय निकायों/ जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/ अधिकारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-वे0आ0-2-870/दस-34एम1/2008टी0सी0 दिनांक 29 अगस्त 2008 सपठित संकल्प संख्या-वे0आ0-2-824/दस-34एम1/2008टी0सी0 दिनांक 22 अगस्त 2008 द्वारा किया गया। उक्त समितिद्वारा अपना द्वितीय प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन भाग-1 की संस्तुतियों के सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा संकल्प संख्या-वे0आ0-2-251/दस-54एम1/2008 टी0सी0 दिनांक 07 फरवरी 2009 द्वारा निम्नानुसार स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग-1 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों/ जल संस्थानों के कर्मचारियों/ अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 01.01.20 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं महंगाई भत्ते की संशोधित दरें वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार राज्य कर्मचारियों के समान देय होगी।

4- वर्तमान में उपलब्ध कोई वेतनमान यदि संलग्न तालिका में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन समान ए कंसीडरेशन के आधार पर निर्धारित किये जायेगें।

5- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों के संबंध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/1318/दस-59एम1/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के अनुसार किया जायेगा।

2/-

6- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन की वृद्धि की दर एक समान तीन प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/1318/दस-59 एस0/2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के अनुसार 01 जुलाई रखी जायेगी।

7- नगरीय स्थानीय निकायों/ जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में 10 वर्ष, 20 वर्ष तथा 30 वर्ष की सेवा अवधि पर स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन राजकीय कर्मचारियों के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के तादृश्य अनुमन्य किया जायेगा। इस संबंध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

8- उक्त श्रेणी के कार्मिकों को शासनादेश संख्या-जी-1-953/दस-2008-226/2008, दिनांक 08.12.2008 के अनुरूप मकान किराया भत्ता, शासनादेश संख्या-जी-1-954/दस-2008-227/2008 दिनांक 08.12.2008 के अनुरूप नगरप्रतिकर भत्ता, शासनादेश संख्या-जी-2-1985/दस-2008-339/2008 दिनांक 11.12.2008 के अनुरूप स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, शासनादेश संख्या-एस.ई.-2314/दस-2008-बीमा-19/2002 दिनांक 08.12.2008 के अनुरूप सामूहिक बीमा योजना तथा शासनादेश संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79 दिनांक 08.12.2008 के अनुसार प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश/चाइल्ड केयर लीव की संशोधित दरें/ व्यवस्था दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से प्रभावी की जायेगी।

9- नगरीय स्थानीय निकायों/ जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन तथा महंगाई भत्ता का दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से नगद भुगतान किया जायेगा। " दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30नवम्बर 2008 तक के अवशेष का किश्तों में भुगतान राजकीय कार्मिकों के समान अथवा अन्य किसी प्रकार जो राजकीय कार्मिकों से अधिक आकर्षक न हो, से दिये जाने के संबंध में निकाय/ संस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे। "

10- नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/ अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय/ संस्था का होगा।

11- राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु अपेक्षक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अन्य श्रोतों से हुई आय की धनराशि से सम्बन्धित निकाय अपनी

3/-

अन्य विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संकुलन के माध्यम से ~~xxxxxx~~ उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने श्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

12- जल संस्थान के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना भत्ते एवं सुविधायें तथा अन्य लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि इसके फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को सम्बन्धित जल संस्थान द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा इससे जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्यजन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13- इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों/ जल संस्थानों में पदों की भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थाईकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा।

14- नगरीय स्थानीय निकाय तथा जल संस्थानों के केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत सेवा के पदों के सृजन के संबंध में मानक निर्धारित किये जायेंगे। इन मानकों का समावेश करते हुए विभिन्न ~~xxxx~~ संवर्गों/ पदों की सेवा शर्तों की विनियमित किये जाने हेतु सेवा नियमावली प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से 06 माह में प्रख्यापित की जायेगी।

15- संलग्न तालिका के क्रमांक-15 व 16 पर अंकित वेतनमान रूपये 8000-13500 के सभी पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड-3 (रू0 15600-39100) तथा ग्रेड वेतन रूपये 5400 अनुमन्य कराया जाय। परन्तु वैयक्तिक वेतनमान रूपये 8000-13500 के ऐसे पद धारकों जिनके लिए इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो, के लिए 8000-13500 के वर्तमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रूपये 5400 के साथ वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) में रखा जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अनौपचारिक संख्या-वे0आ0-2-190/दस-09 दिनांक 26.02.09 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

..4/-

संख्या-609/9-1-08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी।
3- उ0प्र0 के समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारीगण।
4- महाप्रबन्धक समस्तजल संस्थान उ0प्र0 ।
5- समस्त अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदें/ नगर पंचायतें उ0प्र0।
6- निदेशक स्थानीय निधिलेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- वित्त (वै0आ0)अनुभाग-2, दस प्रतियों सहित ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
9- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
10- नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-609/9-1-08-21 सा/2008 दिनांक 27 फरवरी 2009 का संलग्नक I

| क्र0सं0 | वर्तमान वेतनमान रू0 | पुनरीक्षित वेतन संरचना | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वेतन बैण्ड /वेतनमान का नाम | सांकेतिक वेतनबैण्ड/ वेतनमान (रू0) | सांकेतिक ग्रेड वेतन (रू0) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01 | 2550-55-2660-60-3200 | -1एस | 4440-7440 | 1300 |
| 02 | 2610-60-3150-65-3540 | -1एस | 4440-7440 | 1400 |
| 03 | 2650-65-3300-70-4000 | -1एस | 4440-7440 | 1650 |
| 04 | 2750-70-3800-75-4400 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 1800 |
| 05 | 3050-75-3950-80-4590 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 1900 |
| 06 | 3200-85-4900 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 2000 |
| 07 | 4000-100-6000 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 2400 |
| 08 | 4500-125-7000 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 2800 |
| 09 | 4500-125-7250 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 2800 |
| 10 | 5000-150-8000 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4200 |
| 11 | 5500-175-9000 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4200 |
| 12 | 6500-200-10500 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4200 |
| 13 | 7450-225-11500 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4600 |
| 14 | 7500-250-12000 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4800 |
| 15 | 8000-275-13500 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 5400 |
| 16 | 8000-275-13500 | वेतन बैण्ड -3 | 15600-39100 | 5400 |
| 17 | 8550-275-14600 | वेतन बैण्ड -3 | 15600-39100 | 5400 |
| 18 | 10000-325-15200 | वेतन बैण्ड -3 | 15600-39100 | 6600 |
| 19 | 10650-325-15850 | वेतन बैण्ड -3 | 15600-39100 | 6600 |
| 20 | 12000-375-16500 (जहाँ इस वेतनमान के पद सात-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हों अथवा जहाँ यह सुरक्षण/ए. सी. पी. वेतनमान के रूप में देय हो।) | वेतन बैण्ड -3 | 15600-39100 | 7600 |
| 21 | 14300-400-18300 (जहाँ इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो।) | वेतन बैण्ड -4 | 37400-67000 | 8700 |
| 22 | 16400-450-20000 | वेतन बैण्ड -4 | 37400-67000 | 8900 |

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।